न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या–111/2019
जी.सी..एम.एस. संख्या–2019/00158

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
गोरधनसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पोस्ट दाउसर वाया धनकोली तहसील डीडवाना जिला नागौर		1. जिला रसद अधिकारी, नागौर 2. प्रवर्तन निरीक्षक डीडवाना नागौर

उपस्थिति–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री रामकिशोर सोनी
2. रेस्पोडेन्टस् की ओर से जिला रसद अधिकारी नागौर

निर्णय दिनांक– 11-10-2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित आदेश कमांक–रसद/अभि./2019/1236 दिनांक 10.10.2019 के विरूद्व यह अपील पेश की है। अपील के मयाद प्रार्थना मय शपथ पत्र पेश किया। अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

2. मयाद के बिन्दु पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने मयाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि प्रार्थी को रस्पाडन्ट के आदेश दिनांक की प्राप्ति दिनांक 19.10.2019 का हुई, उस दरमियान प्रार्थी बीमार था जिस कारण प्रार्थी समय पर न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील पेश नहीं कर सका। प्रार्थी ने स्वस्थ होते ही यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अविलम्ब यह अपील पेश की है। प्रार्थी जानबूझ कर देरी नहीं करना चाहता था, परन्तु प्रार्थी विकलांग व्यक्ति है जो अपनी बीमारी के कारण न्यायालय में यह अपील पेश नहीं कर सका था, का कथन करते हुऐ वकील प्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में कंडोन करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया। उक्त संबंध में अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट की ओर प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने अपीलान्ट की अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ में किये गये कथनों पर विश्वास किया जाकर न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का मैरिट पर निर्णय किया जाना उचित है।

3. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में किये गये कथनों को हूबहू दोहराते हुऐ बहस में कथन किया कि अपीलार्थी ने ग्राम दाउसर तहसील डीडवाना जिला नागौर में एक उचित मूल्य की दुकान खोल रखी है। उक्त उचित मूल्य दुकान संख्या 438 दाउसर में पिछले करीब 19 सालों से राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी निर्देशो व मानको के आधार पर व्यवसाय कर उचित मुल्य पर सामानों की बिक्री जाती रही है।

3(1)–दिनांक 28.09.2019 को प्रवर्तन निरीक्षक श्री रामवतार पूनिया के द्वारा प्रार्थी की दुकान का निरीक्षण किया गया ओर प्रार्थी पर उक्त दुकान में अनियमितताओं के बाबत् कुछ आरोप लगाये जिस पर प्रार्थी द्वारा समस्त [illegible] करवाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को प्रार्थी को अलोट किये गये सामान यथा केरोसीन, [illegible] तथा [illegible]क्कर को प्रार्थी की दुकान छोटी होने के कारण दो स्थानों पर यथा दुकान संख्या 438 व [illegible] में भण्डारण करना बताया तथा उनको दुकान व गोदाम का निरीक्षण भी करवाया तथा [illegible] को सम्पूर्ण रिपोर्ट पेश करने को कहा तथा कागजातों पर हस्ताक्षर करवा लिये।

3(2)–अपीलार्थी को कुछ दिनों बाद यह जानकारी हुई कि प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा अपीलार्थी पर बिना किसी कारण व अनियमितता के अपीलार्थी के विरूद्व एक प्रथम सूचना रिपोर्ट मौलासर थाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:41:03 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

में दिनांक 12.10.2019 को दर्ज करवा दी जिसकी जानकारी प्रार्थी को दैनिक समाचारों में खबर छपने के बाद हुई।

3(3)—अपीलार्थी को मुकदमा दर्ज होने की जानकारी होने के बाद तुरन्त अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जिला रसद अधिकारी से मिला तथा उनको अपनी निर्दोषता साबित करने तमाम दस्तावेजों सम्पूर्ण वाकियात से अवगत करवाया तथा यहां तक ग्राम दाउसर के सरपंच व ग्रामिणों का एक प्रतिनिधी मण्डल भी अप्रार्थी संख्या 1 से व्यक्तिगत रूप से मिला तथा प्रार्थी के विरूद्व दर्ज करवाये गये प्रकरण को वापस लेने के लिये निवेदन किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को बुलाया तथा उनसे सम्पूर्ण वाकियात की जानकारी ली जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा स्वयं के द्वारा हुई गलती को स्वीकार कर लिया फिर भी अपीलार्थी का लाईसेन्स दिनांक 10.10.2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा निलम्बित कर दिया गया तथा प्रार्थी को एक चार्ज शीट दे दी गई तथा अपीलार्थी को यह निलम्बन आदेश दिनांक 19.10.2019 को प्राप्त हुआ तथा दिनांक 11.10.2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक आदेश जारी कर रूपाराम को प्रार्थी की दुकान का चार्ज लेने के लिये निर्देशित किया लेकिन रूपाराम ने प्रार्थी की दुकान का चार्ज लेने से मना कर दिया जिस पर दिनांक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने पुनः दिनांक 25.10.2019 को एक अन्य आदेश जारी कर श्री नंदकिशोर उचित मुल्य का दुकानदार खाकोली को प्रार्थी की दुकान संख्या 438 का चार्ज लेने के लिए निर्देशित किया जिस पर प्रार्थी ने 31.10.2019 को अपनी उचित मुल्य की दुकान संख्या 438 को चार्ज मय सामान यथा 478.45 क्वि. गेहूं, केरोसीन मात्रा 1853 लीटर, चीनी मात्रा 1143 कि.ग्रा. तथा पोस मशीन क्रमांक 22324 को नंदकिशोर उचित मुल्य का दुकानदार ग्राम खाकोली को चार्ज सुपुर्द कर दिया।

3(4)—प्रवर्तन निरीक्षक को जब नंदकिशोर के द्वारा प्रार्थी की दुकान संख्या 438 का चार्ज मय उपलब्ध सामान यथा 478.45 क्वि. गेहूं, केरोसीन मात्रा 1853 लीटर, चीनी मात्रा 1143 कि.ग्रा. तथा पोस मशीन क्रमांक 22324 लेने की जानकारी हुई तो उसने नंदकिशोर यह कहते हुए धमकाया कि उसने प्रार्थी की दुकान का चार्ज वास्तविक उपलब्ध सामान के साथ क्यों लिया तथा नंदकिशोर यह भी कहा कि उसे प्रार्थी की दुकान के सामान का चार्ज नहीं लेना है जो प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी जांच रिपोर्ट में दर्शाया है जिसकी जानकारी प्रार्थी को स्वयं नंदकिशोर के द्वारा दी गई है तथा प्रवर्तन निरीक्षक व नंदकिशोर के बीच हुई फोन वार्ता का ऑडियो रिकोर्डिंग भी प्रार्थी के पास उपलब्ध है जो वक्त जरूरत न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया जायेगा।

3(5)—अप्रार्थी संख्या 2 को यह जानकारी हुई कि नंदकिशोर के द्वारा प्रार्थी की दुकान का चार्ज मय उपलब्ध वास्तविक सामान के लेने के बाद दिनांक 07.11.2019 को सामान वितरण किया जा रहा है तो उसने दिनांक 01.11.2019 को नंदकिशोर को बुलाया तथा उसने नंदकिशोर को गलत जानकारी देते हुए प्रार्थी की दुकान का चार्ज छिगनाराम उचित मुल्य का दुकानदार रिक्सा का बास को दिनांक 01.11.2019 को देना बताया जबकि दिनांक 07.11.2019 को नंदकिशोर को दाउसर का माल आवंटित कर दिया गया।

3(6)—सम्पूर्ण वाकियात व परिस्थितीयों को देखते हुए यह साफ साबित होता है कि प्रार्थी/अपीलांट को रेस्पोडेन्ट के द्वारा बिना किसी वजह के तथा मेलाफाईड इन्टेशन से तंग व परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा हस्तगत प्रकरण के संबंध में रेस्पोडेन्ट विभाग की ओर से पुलिस में दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में अपीलान्ट द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही पर स्थगन आदेश पारित किया हुआ है।

3(7)—अपील न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार की होने के कारण न्यायालय हाजा को इस अपील की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त होने का कथन करते हुए प्रार्थी अपीलार्थी के विरूद्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा जारी किये आदेश दिनांक 10.10.2019 जिसकी प्राप्ती प्रार्थी को दिनांक 19.10.2019 को हुई को अपास्त किया [illegible] रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा की गई विधि विरूद्व कार्यवाही को खारिज [illegible] का निवेदन किया।

4. प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने रेस्पोडेन्टस की ओर से बहस में कथन किया कि अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार दाउसर तहसील डीडवाना की दिनांक 28.09.2019 को उपभोक्ता पक्षवाड़े के दौरान मौके पर जॉच की गई, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या–58/19 दर्ज कर अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस दिनांक 10.10.2019 जारी किया गया। उक्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को निम्न बिन्दुओं के संबंध में कारण बताओं नोटिस जारी किया गया– 1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:41:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

वक्त निरीक्षण स्टॉक रजिस्टर एवं नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया। 2. वक्त निरीक्षण दुकान के बाहर मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड में अपेक्षित सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं पाया गया। 3. कार्यालय रिकार्ड एवं खाद्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन जॉच करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा सितम्बर 2016 (पोश मशीन लागू होने के बाद) से अक्टूबर 2019 थोक विक्रेता से 335580 कि.ग्रा. गेहूँ प्राप्त किये एवं उक्त अवधि के दौरान 287735 कि.ग्रा. गेहूँ का वितरण किया। इस प्रकार अपीलान्ट के पास निरीक्षण दिनांक 28.09.2019 को 3750 कि.ग्रा. गेहूँ ही मौके पर पाया गया, जबकि 47845 कि. ग्रा. गेहूँ स्टॉक में रहना चाहिए था। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा जानबूझ कर गबन की नियत से पोश मशीन में थोक विक्रेता द्वारा आपूर्ति किये गये गेहूँ को पोश मशीन में इन्द्राज नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा 44095 कि.ग्रा. गेहूँ का गबन किया गया। 4. कार्यालय रिकार्ड एवं खाद्य विभाग के पोर्टल पर ऑन लाईन जॉच करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा अक्टूबर 2016 (पोश मशीन लागू होने के बाद) से अक्टूबर 2019 थोक विक्रेता से 1050 कि.ग्रा. चीनी प्राप्त की गई एवं निरीक्षण तिथि तक 1707 कि.ग्रा. चीनी का वितरण किया। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा 657.5 कि.ग्रा. चीनी का फर्जी वितरण किया गया। 5. कार्यालय रिकार्ड के अनुसार अक्टूबर 2016 से अक्टूबर 2019 तक 15960 लीटर केरोसीन आपूर्ति किया गया एवं अपीलान्ट द्वारा उक्त अवधि के दौरान 14107 लीटर केरोसीन का वितरण किया गया। इस प्रकार अपीलान्ट के पास 1853 लीटर केरोसीन स्टॉक में रहना चाहिए था। वक्त निरीक्षण भौतिक सत्यापन्न के दौरान केरोसीन शून्य पाया गया। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा 1853 लीटर केरोसीन का गबन किया गया। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध राशन सामग्री वितरण के गंभीर अनियमिता के आरोप हैं और ऐसे गंभीर अनियमितता के आरोपों को देखते हुए अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा जैर अपील आदेश कमांक–1236 दिनांक 10.10.2019 से अपीलान्ट डीलर को जारी प्राधिकार पत्र को निलम्बित किया, जो उचित होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया। इसके अलावा वकील अपीलान्ट का कथन कि हस्तगत प्रकरण के संबंध में रेस्पोडेन्ट विभाग की ओर से पुलिस में दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में अपीलान्ट द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही पर स्थगन आदेश पारित किया हुआ होने बाबत केवल कथन मात्र किया है, ऐसे किसी आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की है, जो कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है। अपीलान्ट द्वारा ऐसे किसी आदेश प्रति प्रस्तुत नहीं की है।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध राशन सामग्री के गबन के संबंध में गंभीर अनियमिता बरतने के आरोप है, जो कि रिकार्ड एवं प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) द्वारा मौखित बहस में किये गये कथनों से स्पष्ट है। वकील अपीलान्ट ने ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे की अपीलान्ट के विरूद्ध जारी उपर्युक्तानुसार कारण बताओं नोटिस में दर्शित किये गये आरोप प्रथम दृष्टया ही निराधार हो। जहां तक वकील अपीलान्ट का कथन कि कि हस्तगत प्रकरण के संबंध में रेस्पोडेन्ट विभाग की ओर से पुलिस में दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में अपीलान्ट द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही पर स्थगन आदेश पारित किया हुआ होने बाबत केवल कथन मात्र किया है, उक्त कथनों की पुष्टि में अपीलान्ट द्वारा ऐसे किसी स्थगन आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए वकील अपीलान्ट का उक्त कथन स्वीकार किये जाने योगय नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

7. निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:41:03 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर